डाक / ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13( )खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2020 जयपुर, दिनांक : 30.07.2020

साबुत चना आवंटन आदेश माह अगस्त एवं सितम्बर, 2020
(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत)

उप सचिव, भारत सरकार के पत्र क्रमांक PS-03002/3/2020-PMC दिनांक 09.07.2020 के क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित) राशनकार्डधारियों को **01 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह निःशुल्क** वितरित किये जाने बाबत पात्रतानुसार **माह अगस्त एवं सितम्बर, 2020 हेतु** साबुत चना का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को साबुत चना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी को निःशुल्क पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से साबुत चना का आवंटन किया गया है।

साबुत चना आंवटन की श्रेणियां (Categories)			
श्रेणी	शीर्षक	दर	मात्रा
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क	01 किलोग्राम प्रति परिवार
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क	01 किलोग्राम प्रति परिवार

नोटः– माह अगस्त एवं सितम्बर, 2020 हेतु आवंटित साबुत चना का वितरण एकसाथ दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ किया जावें।

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 22.07.2020 की अद्यतन संख्या के आधार पर **माह अगस्त एवं सितम्बर, 2020** का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– नेफेड द्वारा जिला स्तरीय प्रदाय केन्द्र पर साबुत चना की आपूर्ति की जायेगी जहां से निगम/केवीएसएस द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान तक आवंटन अनुसार आपूर्ति की जायेगी।

4– आवंटित साबुत चना के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी साबुत चना के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकानों को साबुत चना की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों (प्रथम श्रेणी–अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी– PHH अन्य श्रेणी) के राशनकार्डो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित साबुत चना मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी।

7– जिलेवार साबुत चना का आवंटन जिले की कुल ऑफलाईन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

8– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित साबुत चना के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार साबुत चना प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

9– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित साबुत चना का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10– साबुत चना वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर साबुत चना का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से साबुत चना का समर्पण नहीं किया जाए।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

30/7/2020

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

कमांकःएफ 13( )खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2020

जयपुर, दिनांक : 30.07.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
6. महाप्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ (नैफेड), जयपुर को भेजकर लेख है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समस्त श्रेणीयों के लाभार्थीयों को प्रति परिवार 01 किलोग्राम साबुत चना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है, जिसके तहत आवंटन अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करवायें।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

PMGKAY Dal/chana Allotment for Aug-2020 & Sep-2020

Sr. No.	District	No. of Ration Cards	Allotment for Aug-2020 (M.T.)	Allotment for Sep-2020 (M.T.)	Stock Available at District (M.T.)	Final Allotment (M.T.)
1	2	3	4=3*1/1000	5=3*1/1000	6	7=4+5-6
1	Ajmer	388892	388.892	388.892	0	777.784
2	Alwar	554498	554.498	554.498	1.221	1107.775
3	Banswara	344031	344.031	344.031	0	688.062
4	Baran	224618	224.618	224.618	0	449.236
5	Barmer	394706	394.706	394.706	3	786.412
6	Bharatpur	324438	324.438	324.438	35.4	613.476
7	Bhilwara	378839	378.839	378.839	0	757.678
8	Bikaner	273227	273.227	273.227	0	546.454
9	Bundi	181574	181.574	181.574	0	363.148
10	Chittaurgarh	242927	242.927	242.927	0	485.854
11	Churu	285659	285.659	285.659	0	571.318
12	Dausa	257082	257.082	257.082	0	514.164
13	Dhaulpur	172704	172.704	172.704	0	345.408
14	Dungarpur	278162	278.162	278.162	2.863	553.461
15	Ganganagar	283718	283.718	283.718	0.102	567.334
16	Hanumangarh	238029	238.029	238.029	0	476.058
17	Jaipur	719708	719.708	719.708	0	1439.416
18	Jaisalmer	93262	93.262	93.262	0	186.524
19	Jalor	236270	236.27	236.27	0	472.54
20	Jhalawar	263058	263.058	263.058	0	526.116
21	Jhunjhunun	287871	287.871	287.871	0	575.742
22	Jodhpur	451163	451.163	451.163	0	902.326
23	Karauli	193356	193.356	193.356	0	386.712
24	Kota	227703	227.703	227.703	0	455.406
25	Nagaur	526364	526.364	526.364	0	1052.728
26	Pali	286528	286.528	286.528	1.758	571.298
27	Pratapgarh	174934	174.934	174.934	0	349.868
28	Rajsamand	202077	202.077	202.077	0	404.154
29	Sawai Madhopur	196268	196.268	196.268	15.5	377.036
30	Sikar	396679	396.679	396.679	0.126	793.232
31	Sirohi	168411	168.411	168.411	0	336.822
32	Tonk	236799	236.799	236.799	0	473.598
33	Udaipur	528186	528.186	528.186	0	1056.372
	Total	**10011741**	**10011.741**	**10011.741**	**59.97**	**19963.512**

20/7/2020

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त (प्रथम)